	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधि० उप०। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधि० की एक पक्षीय बहस सुनी गई। रजिस्टर अभिलेखों का अवलोकन किया गया। खसरा संख्या 589 व 588/1 ग्राम थबूकडा में क्रमशः प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता भीखाराम का नाम अन्य सह-खातेदारो के साथ दर्ज है। आदेशिका दिनांक 11.7.2016 के तहत मौके एवम् रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दोनो पक्षकारान को पाबन्द किया गया था जिसका अप्रार्थीगण की ओर से आज दिनांक तक पत्रावली में कोई विरोध अवलब्ध नहीं। अतः मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक आदेशिका दिनांक 11.7.2016 को जारी रखा जावे - मौजा थबूकडा पटवार हल्का लोरडी पंडितजी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं० 589 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 588/1 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा भूमि के मध्य चली आ रही माठ को किसी प्रकार से खुर्दबुर्द एवम् नष्ट नहीं करें। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दोनो पक्ष प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता-फैसला मूलवाद पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर एक से कम होकर नत्थी मूल वाद हो। (sd) parvat	